17/9

अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित। अधीन तहसीलदार कोटकासिम को रिपोर्ट की गयी है। निर्धारित प्रपत्र में विज्ञप्ति जारी कर आमंत्रित किया गया। पत्रावली कैंप शिविर अनुसार वास्ते नकल में काम हो। पेश बाद प्रकाशित नोटिस उपस्थित हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी- श्री धीरेन्द्र सिंह R.A.S

अपील सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
06/19	26.3.2019	17.12.2019

अनुवान

[1] चिम्मनलाल पुत्र हरफूल सिंह जाति सुनार निवासी ढेकशोरिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

[1] ग्राम पंचायत ढेकशोरिया पंचायत समिति कोटकासिम जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढेकशोरिया

[2] नरेन्द्र पुत्र चिम्मनलाल

[3] मनोज कुमार पुत्र चिम्मनलाल जाति सुनार निवासी ढेकशोरिया तहसील कोटकासिम

[4] प्रियंका पुत्री चिम्मनलाल जाति सुनार पत्नि ललित कुमार निवासी ढेकशोरिया हाल निवासी बोहड़कला तहसील पटौदी जिला गुड़गांवा (हरि.)

- रेस्पोंडेन्टस

अपील इन्तकाल विरुद्ध [illegible] मार्फत ग्राम पंचायत ढेकशोरिया इन्तकाल सं. 986 दिनांक 20.7.18

उपस्थित :-

[1] श्री गिरधारीलाल शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

प्रार्थी/अपीलान्ट ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक इन्तकाल अपील [illegible] पेश की, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी ख.नं. 345/0.84 हे. का 1/2 भाग में से 0.37 हे. वाकै ग्राम पहाड़वास तहसील कोटकासिम में देवदत्त, रामवतार, महावीर, कालूराम पुत्रान मंगल जाति अहीर ग्राम पहाड़वास की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसको जरिये बयनामा दिनांक 19.4.2011 को बाजारू वाजिब प्रतिफल की राशि

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उक्त खातेदार को मिन अपीलार्थी द्वारा बहकाकर मृतका अपनी पत्नि श्री मति जुगनी देवी के नाम बयनामा करवाया गया था एवं हकीकतन आराजी ख.नं. 111/0.50 है० का 46/480 भाग में से 1/2 भाग वाकै ग्राम पहाड़वास तहसील कोटकासिम खातेदार निर्मला देवी पत्नि दयाराम जाति अहीर निवासी रामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बजरिया वा मार्फत मुख्तार प्रतिफल की राशी अदायेगी दिनांक 29.10.2015 को मिन अपीलार्थी ने खरीद कर अपनी मृतक पत्नि श्री मति जुगनी देवी के नाम बयनामा करवाया था। जिसका इन्तकाल सं. ग्रा.प.पा. 887 एवं 773 दर्ज राजस्व रिकार्ड जुगनी देवी के नाम से हुआ। मृतक जुगनी देवी गृहणी थी। जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। उक्त आराजी को मिन अपीलार्थी ने ही अपनी आमदनी से खरीद कर जुगनी देवी के नाम करवाया था। रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 नरेन्द्र कुमार जो कि मिन अपीलार्थी का सगा पुत्र है तथा मिन अपीलार्थी के शुक्र से मिन अपीलार्थी की पत्नि जुगनी देवी के पैदा हुआ था। नरेन्द्र कुमार के अलावा मिन अपीलार्थी के शुक्र से मृतका जुगनी देवी के रेस्पोन्डेन्ट सं. 3 मनोज कुमार व रेस्पोन्डेन्ट सं. 4 प्रियंका भी पैदा हुए। कानूनन अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 लगा. 4 मृतका जुगनी देवी के विधिवत वारिसान है। इसके अलावा मृतक जुगनी देवी के और कोई वारिस नहीं है। मृतक जुगनी देवी के जीवनकाल में ही दिनांक 14.1.2015 को - पारिवारिक बटवारा हुआ। मुताबिक विभाजन रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 का अब कोई हक हिस्सा नहीं है। जो कि रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 ने रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 से साजबाज होकर मिन अपीलार्थी को मृतका जुगनी देवी की विरासत में मिलने वाली हिस्से की आराजी का हक हिस्सा मारने की नीयत से मिन अपीलार्थी को छुपाते हुए रेस्पोन्डेन्ट सं. 3 व 4 के साथ मिलीभगत मौका व मिलीभगत कानून अपना नाम विरासत इन्तकाल सं. 986 ग्राम पंचायत पहाड़वास में दर्ज करवाते हुए मन्जूर करवा लिया। रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं की और मिलीभगत मौका व मिलीभगत कानून रेस्पोन्डेन्ट रेस्पोन्डेन्ट सं. 3 व 4 के साथ रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 का नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया जो कानूनी मन्जूरी है। तमादी अपील दफा 5 के प्रार्थ पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर रेस्पोन्डेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

नं. 2 का नाम हटाकर मेरे अपीलान्ट का नाम रेस्पोन्डेन्ट नं. 3 व 4 के साथ जोड़ा जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं बाद तामील इनके खिलाफ दिनांक 12.9.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोन्डेन्ट सं. 3 व 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि वर्तमान अपील में अपीलान्ट द्वारा अंकित किये गये समस्त तथ्य व कथन सही है। [illegible] इन्तकाल सं. 986 दिनांक 20.7.2018 ग्राम पहाड़वास रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 नरेन्द्र कुमार के नाम को [illegible] करते हुए रेस्पो. सं. 3 व 4 के साथ अपीलान्ट का नाम भी समभाग में दर्ज व मंजूर किया जावे।

बहस विद्वान अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि खाता ख. नं. 345/0.84 है. का 1/2 भाग में से 0.37 है. वाके ग्राम पहाड़वास तहसील कोटकासिम में देवदत्त, रामअवतार, महावीर, कानूराम पुत्रान मंगल जाति अहीर ग्राम पहाड़वास की काबिज काश्त आराजी थी। जिसको जरिये बयनामा दिनांक 19.4.2011 को बाकब्जा बाजाब्ता प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद मृतक अपनी पत्नि कृष्णा देवी के नाम करवाया था। इसी प्रकार ख. नं. 111/0.50 है. का 46/400 भाग में से 1/2 भाग वाके ग्राम पहाड़वास खातेदार विमला देवी पत्नि दयाराम जाति अहीर निवासी [illegible] तहसील ~~[illegible]~~ तिजारा जिला अलवर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बाकब्जा बाजाब्ता प्रतिफल की राशि अदा कर दिनांक 29.10.15 को मेरे अपीलान्ट ने खरीदकर अपनी मृतक पत्नि कृष्णा देवी के नाम करवाया था। रेस्पोन्डेन्ट सं. 2 नरेन्द्र कुमार के साथ एक पारिवारिक समझौता हुआ था जिसमें रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 को प्राप्त एक हिस्से की आराजीयात दे दी गई थी। मृतक कृष्णा देवी की विरासत के इन्तकाल से रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 का कोई सम्बन्ध व अधिकार नहीं है। लेकिन रेस्पो. नं. 2 ने रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 से सांठगांठ होकर अपीलान्ट का नाम ना दर्ज करवाते हुए रेस्पोन्डेन्ट नं. 3 व 4 के साथ अपने नाम इन्तकाल में दर्ज करवा लिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है। ग्राम पंचायत रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 ने बिना नोटिस दिये और बिना अपीलान्ट को सुने इन्तकाल

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

संख्या 986 दिनांक 20.7.18 दर्ज को स्वीकार कर लिया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कहा कि इन्तकाल सं. 986 दिनांक 20.7.18 ग्राम - पहाड़वाय तहसील कोटकासिम को खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। रेस्पोडेन्ट नं. 2 का नाम कलमजद कर रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 4 के साथ अपीलान्ट को समभाग में दर्ज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने हिन्दू सीधे ख्याल 15 पेज सं. 1002 की नजीर पेश की जिसमें पत्नि के वारिस पति को भी माना है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। विवादित नामान्तकरण सं. 986 दि. 20.7.18 मृतका गुलाबा देवी जो कि वादी की पत्नि थी, उसके वारिसान के नाम दर्ज किया है जिसमें अपीलान्ट को मृतका का वारिसान न मानकर उसके पुत्र-पुत्रीयों के नाम दर्ज किये है। वकील अपीलान्ट के अनुसार प्रतिवादी सं. 2 द्वारा पारिवारिक समझौते के रूप में वचन पत्र दिनांक 14.1.2015 तस्दीक किया था। अतः नामान्तकरण सं. 986 निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में से रेस्पोडेन्ट सं. 2 नरेन्द्र का नाम कलमजद कर समस्त विरासत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज की जानी चाहिये। रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 4 का इकबाल जवाब भी पत्रावली पर उपलब्ध है।

विरासत इन्तकाल विधि पूर्ण तरीके से दर्ज किया जाता है न कि पक्षकारान की आपसी सहमति/इकबाल के आधार पर दर्ज किया जाता है। कथित वचन पत्र 14.1.15 पारिवारिक समझौते की श्रेणी में कतई नहीं आता है। पारिवारिक समझौते के अन्तर्गत संपति के स्वामी द्वारा उसकी संपति को उसके जीवनकाल में मात्र उपयोग के अधिकार परिवार सदस्यों को सुविधा द्वारा दिया जाता है। उससे भूमि का स्वामित्व अंतरण नहीं होता है। उक्त वचन पत्र पारिवारिक समझौता भी नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के मद्देनजर विरासत इन्तकाल अपील नामान्तकरण सं 986 दिनांक 20.7.18 ग्राम पहाड़वाय तहसील कोटकासिम निरस्त किया।

लगातार -

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

जाता है। अधीन तहसीलदार कोटकासिम को निर्देश दी जाती है कि मृतका के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत मौके से जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner